पट्टी का सीमांकन कार्य भारत और चीन के बीच सीमा का मसला हल हो जाने के बाद ही किया जा सकता है। (iii) के संबंध में इस क्षेत्र में भारत और म्यामां के बीच पारम्परिक सीमा की व्याख्या पर कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थीं जो अभी भी अनसुलझी है।

3. अक्तूबर, 1993 में भारत के महापर्यवेक्षक की रंगून यात्रा और प्रत्युत्तर में जुलाई, 1994 में म्यामां के महापर्यवेक्षक की भारत यात्रा के बाद भारत-म्यामां सीमा पर लगे खम्बों के संयुक्त निरीक्षण, मरम्मत और रख-रखाव पर वार्षिक संयुक्त सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर, 1994 में आरंभ हुआ।

**बंगालादेश**

बंगालादेश के साथ निपटान के लिए लम्बित पड़े मामलों में चकमा शरणर्थियों का प्रत्यावासन, बंगला देश से अवैध अप्रवास, विद्रोहियों से संबंधित गतिविधियों सीमांकनं और परिवहन सम्पकों सहित सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग शामिल है।

2. बंगलादेश के साथ प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तथा बंगालादेश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के स्तर पर यात्राओं के आदान-प्रदान के माध्यम से नियमित उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखी गई है। इन यात्राओं के दौरान सभी बकाया मुद्दों के समाधान के लिए और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर काम करने के लिए सहमति हुई। फरक्का में गंगाजल के विभाजन पर दिसम्बर 1996 में बंगालादेश के प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा के दौरान संधि पर हस्ताक्षर हुए। भारत में निर्यात किया जा सकता है, टेरिफ रियायतें दे मंजूर किया है।

**पाकिस्तान**

भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे मसलों मे पाकिस्तानी जेलों में कैदी मछुआरों सहित भारतीयों को छुड़ाना और उनका प्रत्यावर्तन, भारत के विरूद्ध चलाए जा रहे आतंकवाद और तोड़फोड़ की गतिविधियों में पाकिस्तान द्वारा समर्थन, जम्मू और कश्मीर से सम्बद्ध मसले, सरक्रीक में सीमांकन और समुद्री सीमा का रेखांकन, व्यापारिक और आर्थिक मसले और दोनों देशों के बीच यात्रा की सुविधा से संबंधित मसले शामिल हैं।

2. सरकार शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से भारत-पाकिस्तान के सभी मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने द्विपक्षीय बातचीत व्यापक रूप से पुनः आरंभ करने की अपनी तत्परता की जानकारी पाकिस्तान को दे दी है। 28 से 31 मार्च, 1997 तक दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बातचीत होगी।

**चीन**

1.हाल के वर्षो में भारत और चीन के संबंधों में परिपक्वता और यथार्थता आई है। सीमांगत प्रश्न सहित बकाया मसलों को हल करने के साथ-साथ हमने सभी क्षेत्रों में परस्पर लाभप्रद सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है।

2. दोनों पक्ष सीमा संबंधी प्रश्न के निष्पक्ष यथोचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के विषय में काम करने के लिए वचनबद्ध है। दोनों पक्ष सीमा प्रश्न पर भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल और भारत-चीन विशेषज्ञ दल की रूपरेखा में बात चीत कर रहे हैं। 1993 में सम्पन्न सीमा शांति, अनुरक्षण करार और नवम्बर, 1996 में सम्पन्न विश्रासोत्पदक उपाय से सम्बद्ध करार से सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में योगदान मिलेगा।

**चीन द्वारा हथिया लिया गया भू-भाग**

1844. **डा0 महेश चन्द्र शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1962 के युद्ध में चीन द्वारा हथियाये गये भू-भाग का क्षेत्रुल क्या है,

(ख) क्या चीन सिक्किम पर भारतीय सम्प्रभुता को स्वीकार करता है, और

(ग) क्या चीन अरूणाचल पव्रदेश को अपने अधिकृत मानचित्र में चीनी भू-भाग के हिस्से के रूप में प्रदर्शित करता है?

**विदेश मंत्री ( श्री इन्द्र कुमार गुजराल )** : (क) जम्मू और कश्मीर का लगभग 38 हजार वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान"सीमाद करार" के अन्तर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 5120 वर्ग कि0 मी0 भारतीय क्षेत्र चीन को अवैध रूप से सौंप दिया है।

(ख) और (ग) चीन की सरकार ने अरूणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र के एक बड़े भाग पर अपना दावा पेश किया है। उन्होंने सिक्किम को भारत के एक अंग के रूप में औपचारिक मान्यता भी दी है।